प्रेषक

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पंचायत की बैठकों में प्रतिभाग न किये जाने तथा महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार द्वारा पंचायतों की बैठकों में प्रतिभाग किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संज्ञान में आया है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कार्य संचालनार्थ होने वाली ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की बैठकों में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है तथा महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार द्वारा पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता तथा कार्यों का निवर्हन किया जा रहा है। जोकि उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम–2016 की मूल भावना के प्रतिकूल है।

2. भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 घ में उपबन्धित व्यवस्थानुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिये आरक्षित किये गये हैं। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वर्ष 2008 से त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों की कुल संख्या से आधे (50%) से अन्यून पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। ताकि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढे एवं स्थानीय शासन में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

3. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के क्षमता विकास हेतु प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन सभी विषयों की जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की जा रही है जो पंचायतों के कार्य संचालन हेतु आवश्यक हैं। इसके उपरान्त भी महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार द्वारा पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता तथा कार्यों का निवर्हन किया जाना शासकीय धन के अपव्यय के साथ संवैधानिक उपबन्धों एवं उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था का घोर उल्लंघन है।

4. उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम–2016 की धारा–8, 53 एवं 90 की उपधारा (त) में स्पष्ट प्राविधानित है कि यदि किसी भी महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उसके पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार द्वारा पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता

तथा कार्यों का निवर्हन करने सम्बन्धी दोष सिद्ध हो जाए तो वह महिला तथा उसके स्थान पर कार्यों का निवर्हन करने वाला व्यक्ति दोनों ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे। धारा 138 की उपधारा (ग) में यह भी प्राविधान किया गया है कि महिला प्रतिनिधियों के पति या पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार के द्वारा उनके स्थान पर अनधिकृत रूप से कार्यों का संचालन करने के कारण वह महिला सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त होंगे, ऐसी स्थिति में उन्हें विभागीय अंतिम जांच तक निलम्बित किया जा सकेगा।

5. उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम–2016 की विभिन्न धाराओं में ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की बैठकें आहूत कराये जाने तथा बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने के उपबन्ध किये गये हैं। उपरोक्तानुसार आहूत बैठकों मे पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिभाग किया जाना आवश्यक है। बैठक में प्रतिभाग न किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 138 की उपधारा (घ)(i) में प्राविधानित है कि यदि त्रिस्तरीय पंचायत का प्रतिनिधि बिना पर्याप्त कारण के लगातार तीन से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में अनुपस्थित रहे या कार्य करने से इंकार करे तो त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को उनके पद से पृथक किया जा सकता है।

6. अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार द्वारा पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता तथा कार्यों का निवर्हन किये जाने तथा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कार्य संचालनार्थ होने वाली पंचायत की बैठकों में प्रतिभाग नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में आने पर उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम–2016 में प्राविधानित उपबन्धों के अधीन अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 24-06-2024 13:06:18

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव,

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव,